ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2234/2001/नागौर दयालकंवर बनाम रामचन्दर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य उपस्थितः– श्री डूँगरसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी। श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी। –– निर्णय दिनांकः 06–02–2020 यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) ककी धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 15–01–2001 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध एक दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित आराजी बाबत् सहायक कलक्टर, मेडता के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने दौराने दावा वादीगण परसराम व रामचन्द्र का देहान्त होना व इनके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रा0 पत्र पेश नहीं करने एवं दो वर्ष तक अबेटमेंट को रद्द करने का प्रा0 पत्र पेश नहीं किए जाने के कारण प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी/वादीगण का संपूर्ण वाद अपने आदेश दिनांक 07–03–86 को अबेट कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–01–2001 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2234/2001/नागौर दयालकंवर बनाम रामचन्दर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-03-86 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे पक्षकारान को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि रामचन्द्र का देहान्त नहीं हुआ है, अतः अपील अबेट नहीं हो सकतीं जबकि विचारण न्यायालय में दौराने परसराम का देहान्त हुआ था तथा उसके वारिसों को रेकार्ड पर लेने हेतु मियाद में कोई प्रा0 पत्र पेश नहीं किया गया था, उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपना निर्णय प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त शुरू से ही अपीलार्थीगण के पिता बदनसिंह व चोखसिंह का चला आ रहा है, जिन्हें बेदखल करने हेतु सक्षम न्यायालय में आज तक कोई दावा पेश नहीं किया गया है, अतः प्रश्नगत दावा अधिनियम की धारा 188 का चलने योग्य नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि मृतक परसराम का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा था, जिससे परसराम के वारिसों को रेकार्ड पर लिए बिना संपूर्ण वाद चल नहीं सकता था, क्योंकि विवादित आराजी	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2234/2001/नागौर दयालकंवर बनाम रामचन्दर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संयुक्त खातेदार की भूमि थी। उनका यह तर्क भी था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को स्वंय को यह देखना चाहिए था कि क्या दावा संपूर्ण अबेट होता है अथवा नहीं किन्तु उन्होंने अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नहीं किया कि प्रत्यर्थी का दावा अबेट होता है या नहीं। उन्होंने केवल दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया, जिसमें उन्हें यह निर्देश देना आवश्यक था कि क्या दावा गुणावगुण पर सुना जाएगा या अबेटमेंट के आधार पर। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने 2015 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 1122, 2015(2) आर0आर0टी0 पेज 1254, आर0बी0जे0 (17) 2010 पेज 629, आर0बी0जे0 (19) 2012 पेज 541 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा परसराम सवं रामचन्द्र के मरने एवं इनके कायम मुकाम रेकार्ड पर लम्बे समय तक नहीं लेने के कारण सम्पूर्ण दावा अबेट घोषित किया गया जबकि रामचन्द्र स्वंय जीवित है, उसके मरने का तथ्य विचारण न्यायालय न्यायालय ने गलत रूप से अंकित किया जबकि परसराम वादी की मृत्त्यु हुई है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण दावा अबेट किया जाना त्रुटिपूर्ण था,	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2234/2001/नागौर दयालकंवर बनाम रामचन्दर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई। उनके द्वारा प्रकरण विचारण न्याययालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है, अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मृतक वादीगण रामचन्द्र व परसराम के देहान्त के पश्चात् उसके वारिसान को समय पर अभिलेख पर नहीं लाए जाने के कारण संपूर्ण वाद अबेट कर दिया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष रामचन्द्र द्वारा अपील पेश की गई है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा रामचन्द्र की मृत्यु के आधार पर दावे को अबेट मानने संबंधी निष्कर्ष स्पष्टतया गलत था। इसी आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अबेटमेंट के आदेश को निरस्त करते हुए वाद को उभय पक्ष को सुनकर विधिवत निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय पूर्णतया उपयुक्त है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2234/2001/नागौर दयालकंवर बनाम रामचन्दर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-01-2001 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सतीश चन्द्र गोदारा) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	